संख्या-136/2023/205रासनि/23-1-23/004-06आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2849/CE-HQ-1/RSN 5054/PRJ/2022-23, दिनांक 18.01.2023 एवं पत्र संख्या-2869/CE-HQ-1/RSN 5054/PRJ/2022-23, दिनांक 18.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों के 20 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 4,56,56,000/- (रूपये चार करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. प्रतापगढ़	पिच रोड डेईडीह धौरहरा से मौर्या बस्ती होते हुए ठनेपुर गोपापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	98.01	31.24	0.08	66.69	66.69
2	प्रा.ख. प्रतापगढ़	श्शीतलगंज उड्डैयाडीह मार्ग से खूझीकला सं0 मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	41.46	10.15	4.58	26.73	26.43
3	प्रा.ख. प्रतापगढ़	पट्टी बनधवा मार्ग किमी 15 बंधवा बाजार से बाबा चतुर्भुज धाम प्र0वि0 मझौली सम्पर्क मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	43.13	24.31	2.65	16.17	16.17
4	प्रा.ख. प्रतापगढ़	पट्टी बन्धवा मार्ग कि0मी0 14 मझौली गोदाम से देव नरायण गौड, महादेव मंदिर वाया वीरेन्द्र सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	81.92	22.69	3.77	55.46	55.46
5	प्रा.ख. प्रतापगढ़	बेल्हा पट्टी ढ़कवा मार्ग से सोभवा सम्पर्क मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	73.73	14.75	2.94	56.04	56.04
6	प्रा.ख. प्रतापगढ़	ढिढुई भाट पट्टी से वर्मा बस्ती सम्पर्क मार्ग।	49/2021/1800 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21-दिनांक-07-01-2022	41.45	10.36	4.16	26.93	26.93
7	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	एस0पी0एच0 मार्ग से राजस्व मार्ग अन्नाव ब्राम्हण बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	36/2020/537 रासनि/23-1-20-17 रासनि/19-दिनांक-17-02-2020	75.22	69.61	0.98	4.63	4.63
8	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	शेखपुर सठवा सम्पर्क मार्ग। (2115)	40/2020/536 रासनि/23-1-20-13 रासनि/19-दिनांक-19-02-2020	46.66	42.52	0.95	3.19	3.19
9	नि.ख.-4 कु.मे.	झंूसी छतनाग मार्ग के किमी 1 से प्रयागराज कालोनी होते हुए टी0पी0	32/2021/59 रासनि/23-1-20-58	56.7	48.33	0.17	8.20	8.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रयागराज	मेमोरियल मार्ग तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	रासनि/20-दिनांक-29-01-2021					
10	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	चिरौंड़ी चिरौंड़ा मार्ग के किमी0 1 से जू0हा0 स्कूल थानापुर होते हुये डुडुही रजवाहा नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग।	51/2021/170 रासनि/23-1-21-63 रासनि/20-दिनांक-09-02-2021	132.88	126.24	4.01	2.63	2.63
11	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	चकरघुनाथ सुल्तानपुर मार्ग से लोदीपुर हरिजन बस्ती होते हुये नहर की पटरी से बरियारी हबीबपुर सम्पर्क मार्ग।	51/2021/170 रासनि/23-1-21-63 रासनि/20-दिनांक-09-02-2021	157.09	149.24	4.32	3.53	3.53
12	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	जे0के0डी0एल0 मार्ग के किमी0 13 से कोटवा विपार होते हुये जे0के0डी0एल0 मार्ग के किमी0 15 तक मार्ग (मिंसिग लिंक) का निर्माण कार्य।	51/2021/170 रासनि/23-1-21-63 रासनि/20-दिनांक-09-02-2021	120.48	96.38	13.41	10.69	10.69
13	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	उष्मापुर सम्पर्क मार्ग।	62/2021/273 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	50.6	42.34	3.26	5.00	5.00
14	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	बिगहिया (सेवक राम का पुरा /नेता का पुरा) तक सं0 मार्ग।	62/2021/273 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	97.33	80.35	4.98	12.00	12.00
15	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	प्रयागराज गोरखपुर मार्ग के किमी0 38 से चक भिखारी उर्फ परसाडीह घेलई हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	67/2021/323 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20-दिनांक-04-03-2021	106.17	69.02	2.89	34.26	34.26
16	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	जगुआसोधा शुक्लान बस्ती होते हुये जबराडीह सम्पर्क मार्ग।	99/2021/530 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	101.08	84.94	3.14	13.00	13.00
17	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	अरई पिच मार्ग से मन्दर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	99/2021/530 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	40.92	35.16	3.76	2.00	2.00
18	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	शारदा सहायक नहर से रामलीला मैदान सींकी खुर्द यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	99/2021/530 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-22-03-2021	101.08	74.94	3.61	22.53	12.53
19	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	मोहन का पुरा छाता मार्ग के किमी0-1 से रजवापुर नहर पुल से पटेल बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	90.69	19.14	14.00	57.55	57.55
20	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	तिलई दमदम बीबीपुर ओ0डी0आर0 मार्ग मिझुरा नाला पटरी हनुमान मंदिर होते हुए बिन्दबस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	26/2022/1921 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-05-01-2022	98.57	39.42	19.52	39.63	39.63
							कुल योग-	456.56

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 4,56,56,000/- (रूपये चार करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-136/2023/205रासनि/23-1-23/004-06आरएसएन/2022टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।